उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष नं0– 0135–2662021, फैक्स नं0– 0135–2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब:http://uic.uk.gov.in

पत्रांक 9862/उ0सू0अ0/2023–24 दिनांक 22/12/2023

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड

विषय : रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 990/2021 किशन चन्द्र जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 5678 दिनांक 28.08.2023 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1662/XXX1(15)जी/23–49(सा0)/2020 दिनांक 03.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 990/2021 किशन चन्द्र जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.2023 का अनुपालन किये जाने हेतु अपेक्षा की गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य के समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिक से अधिक सूचनाओं का स्वःप्रकटन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।

रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 990/2021 के आदेश दिनांक 17.08.2023 के अनुपालन हेतु दिनांक 18.10.2023 को उत्तराखण्ड राजभवन में और दिनांक 15.12.2023 को मंथन सभागार में विभागाध्यक्षों के साथ बैठक आहूत की गयी थी। आयोजित बैठक में समस्त विभागाध्यक्षों को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 04 का अनुपालन कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिए गए।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य के समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा अधिक से अधिक सूचना का स्वःप्रकटीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत वेबसाइट के माध्यम से और धारा 4(1)बी के तहत विभागीय मैनुअल के रूप में किया जाना है। धारा 4 के तहत जिन सूचनाओं का स्वःप्रकटीकरण किया जाना है, का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

धारा 4 के तहत सूचना का स्वःप्रकटीकरण किये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने हेतु सूचना आयोग सभागार में दिनांक 26.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 तक प्रातः 10.30 बजे से 12.00 बजे तक और अपराह्न 3.00 बजे से 4.30 बजे तक (किसी भी कार्यदिवस में शनिवार और रविवार को छोड़कर) प्रजेन्टेशन की सुविधा प्रदान की गयी है।

यदि किसी लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में कठिनाई आ रही है तो वे अपनी सुविधा के अनुसान इस प्रजेन्टेशन में प्रतिभाग कर सकते हैं।

लोक प्राधिकारियों के द्वारा तैयार मैनुअल का ऑडिट सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 01.12.2023 के क्रम में निदेशक, ऑडिट निदेशालय, देहरादून के द्वारा किया जाना है। निदेशक, ऑडिट निदेशालय के द्वारा जिस आधार पर ऑडिट किया जाना है, की चैक लिस्ट भी स्वःमूल्यांकन हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। धारा 4 के तहत अधिक से अधिक सूचनाओं के स्वःप्रकटीकरण हेतु विभाग के द्वारा ऑनलाइन स्वःमूल्यांकन किया जा सके और ऑडिट निदेशालय के द्वारा ऑनलाइन ऑडिट किया जा सके इस हेतु पोर्टल तैयार किया जा रहा है। पोर्टल तैयार होने पर पोर्टल पर डाटा अपलोड किये जाने हेतु इसकी सूचना पृथक से प्रदान की जाएगी।

मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के द्वारा आपसे यह अनुरोध करने के निर्देश हुए हैं कि कृपया अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के तहत तैयार विभागीय मैनुअल इस पत्र के साथ संलग्न चैक लिस्ट के अनुसार बने है या नहीं, का स्वःमूल्यांकन करते हुए स्वःमूल्यांकन रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि किसी विभाग का मैनुअल और धारा 4 के तहत सूचना का स्वःप्रकटीकरण चैक लिस्ट के अनुरूप नहीं है तो अधिक से अधिक सूचना का स्वःप्रकटीकरण चैक लिस्ट के अनुरूप कराते हुए, कृत्य कार्यवाही से आयोग को दिनांक 10.01.2023 तक अवगत कराने का कष्ट करें। विभागाध्यक्ष से यहाँ यह भी अपेक्षित है कि कृपया अधीनस्थ कार्यालयों के मैनुअल को भी उपरोक्तानुसार अद्यावधिक कराते हुए अपनी विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव

पत्रांक / उ0सू0अ0 / 2023–24 दिनांक 2023

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव